

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम

प्रलिस के लयि:

[ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम](#), [लाइफ कैपेन](#), [कारबन क्रेडिट](#), [क्योटो प्रोटोकॉल](#), [सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड](#), [ग्रीन एनर्जी कॉरडोर](#)

मेन्स के लयि:

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत कवर की गई गतविधियॉ, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से संबंघति चतिऑ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्या में क्यॉ?

हाल ही में [पर्यावरण वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय \(MoEFCC\)](#) ने स्पष्ट कथि है क [ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम \(GCP\)](#) के तहत केवल वृक्षारोपण के बजाय [पारसिथतिकी तंत्र को बहाल करने](#) को प्राथमकता दी जानी चाहयि।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्यि है?

परचिय:

- **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** एक अभनव बाज़ार-आधारति तंत्र है, जसि व्यक्तियॉ, समुदायॉ, नजिी क्षेत्र के उद्योगॉ और कंपनयिं जैसे वभिनिन हतिधारकॉ द्वारा वभिनिन क्षेत्रों में स्वैच्छकि पर्यावरणीय कार्यॉ को प्रोत्साहति करने के लयि डज़ाइन कथि गया है।
- इसे संयुक्त राषट्र जलवायु परविरतन सम्मेलन (COP26) में [प्रधानमंत्री](#) द्वारा घोषति **'LIFE' पहल** के हसिसे के रूप में एक स्थायी जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु डज़ाइन कथि गया है।

कवर की गई गतविधियॉ: ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पर्यावरणीय सधरिता को बढ़ाने के उद्देश्य से आठ प्रमुख गतविधियॉ शामिल हैं:

- **वृक्षारोपण:** हरति आवरण को बढ़ाने और [वनाचछादन](#) से नपिटने के लयि पेड़ लगाना।
- **जल प्रबंधन:** जल संसाधनों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन और संरक्षण के लयि रणनीतियॉ को लागू करना।
- **सतत कृषि:** पर्यावरण-अनुकूल और [सतत कृषि](#) पद्धतियॉ को बढ़ावा देना।
- **अपशषिट प्रबंधन:** पर्यावरण [प्रदूषण](#) को कम करने के लयि प्रभावी अपशषिट प्रबंधन प्रणाली लागू करना।
- **वायु प्रदूषण में कमी:** पहल का उद्देश्य [वायु प्रदूषण](#) को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **मैंग्रोव संरक्षण और पुनरस्थापना:** पारसिथतिकी संतुलन हेतु [मैंग्रोव](#) पारसिथतिकी तंत्र की सुरक्षा और पुनरस्थापन।

शासन एवं प्रशासन:

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के परचालन ढॉंचे में एक ऐसी प्रक्रयि शामिल है, जहाँ व्यक्तियॉ और नगिमॉ दोनों को 'नमिनीकृत' समझे जाने वाले वनों की बहाली के प्रयासॉ में वत्ततीय रूप से योगदान करने का अवसर दथि जाता है।
 - इसे पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र इकाई, [भारतीय वानकी अनुसंधान और शकषि परषिद \(ICFRE\)](#) के अनुप्रयोगॉ के माध्यम से सुवधाजनक बनाया गया है।
 - **ICFRE वन बहाली** के लयि नरिदेशति **वत्ततीय योगदान** की देख-रेख हेतु ज़मिमेदार है, जसि बाद में संबंघति राज्य वन वभिगॉ द्वारा नषिपादति कथि जाता है।
- वनीकरण प्रयासॉ के बाद **दो वर्ष** की अवधकि पश्चात् ICFRE लगाए गए पेड़ों का **मूल्यांकन** करता है।
 - सफल मूल्यांकन पर प्रत्येक पेड़ को एक **'ग्रीन क्रेडिट'** के बराबर मूल्य दथि जाता है। इन अरजति ग्रीन क्रेडिट का उपयोग फंडगि ऑर्गनाईज़ेशन द्वारा कुछ तरीकॉ से कथि जा सकता है:
 - सबसे पहले ये उन संगठनों के लयि एक **अनुपालन तंत्र** के रूप में कार्य कर सकते हैं, जनिहें **वन कानूनॉ** द्वारा वनीकरण के लयि भूमिका एक तुलनीय क्षेत्र प्रदान करके गैर-वानकी उद्देश्यॉ हेतु वन भूमि के अपयोजन को ऑफसेट करने के लयि अनविर्य कथि गया है।
 - वैकल्पकि रूप से इन क्रेडिट को **पर्यावरण, सामाजकि और शासन (ESG)** मानकॉ के पालन की रपिर्ट करने या **कॉर्पोरेट सामाजकि उत्तरदायतिव (CSR)** के दायतिवॉ को पूरा करने के लयि एक मीट्रकि के रूप में नयिोजति कथि जा सकता है।

- **ग्रीन क्रेडिट से प्राप्त आय एवं गणना:** ग्रीन क्रेडिट अर्जति करने के लिये प्रतभागियों को एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।
 - इसके बाद एक नामित एजेंसी इस परचालन का सत्यापन करेगी। इस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
 - ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणामों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक संसाधन आवश्यकताओं, पैमाने, दायरे, आकार के साथ अन्य प्रासंगिक मापदंडों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री तथा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म:** इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक **ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री** की स्थापना करना है, जो अर्जति क्रेडिट को ट्रैक एवं प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करेगा।
 - इसके अतिरिक्त प्रशासक घरेलू बाजार में ग्रीन क्रेडिट्स के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा और उसे बनाए रखेगा।
- **महत्त्व:**
 - **भारत की पर्यावरण संरक्षित नीतियाँ:** भारत की पर्यावरण नीतियाँ, जैसे **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** एवं **राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006** पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुधार के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती हैं।
 - GCP के साथ-साथ इन नीतियों का उद्देश्य वनों, वन्य जीवन एवं समग्र प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है।
 - **भारत के जलवायु उद्देश्यों के अनुरूप: GCP वैश्विक दायित्वों को बनाए रखने के भारत के प्रयासों का एक उदाहरण है, जो COP26 पर सहमति के अनुरूप है।**
 - यह **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022** द्वारा शुरू की गई **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना** का पूरक है, और साथ ही सतत प्रथाओं की एक शृंखला को शामिल करने हेतु CO₂ कटौती से परे व्यापार योग्य क्रेडिट के दायरे को भी व्यापक बनाता है।
 - **अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का पूरक:** GCP **संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र बहाली दशक (वर्ष 2021-2030)** के अनुरूप है, जो बहाली गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर देता है।
 - इस संबंध में भारत के दृष्टिकोण में बहाली प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल करना तथा **पारंपरिक ज्ञान एवं संरक्षण का लाभ** प्राप्त करना शामिल है।

क्या ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कार्बन क्रेडिट को भी कवर करता है?

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023** के तहत प्रदान किये गए **कार्बन क्रेडिट** से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, जो वर्ष 2001 के **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम** द्वारा शासित होता है।
 - **कार्बन क्रेडिट**, जिसे कार्बन ऑफसेट के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे परमिट होते हैं जो **मालिक को एक नश्वरिता मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देते हैं।**
 - एक क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के बराबर उत्सर्जन की अनुमति देता है।
- ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों में जलवायु सह-लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या हटाना, जिससे संभावित रूप से ग्रीन क्रेडिट के अलावा कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण हो सकता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?

- **वन पारिस्थितिकी पर प्रभाव:** आलोचकों ने चिंता जताई है कि ग्रीन क्रेडिट नियम वन पारिस्थितिकी के लिये **हानिकारक हो सकते हैं।** ये नियम राज्य वन विभागों को ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिये वृक्षारोपण के लिये **'नमिनीकृत भूमि पारसल'** की पहचान करने का निर्देश देते हैं।
 - हालाँकि इस दृष्टिकोण की अवैज्ञानिक और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिये संभावित विनाशकारी के रूप में आलोचना की गई है।
 - झाड़ियों और खुले वनों के लिये 'नमिनीकृत' जैसे शब्दों का उपयोग अस्पष्ट माना जाता है और इससे औद्योगिक पैमाने पर वृक्षारोपण हो सकता है जो मृदा की गुणवत्ता को अपरिवर्तनीय रूप से बदल सकता है, **स्थानीय जैवविविधता** को प्रतस्थापित कर सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नुकसान पहुँचा सकता है।
- **हरित रेगिस्तानों का निर्माण:** ऐसी आशंका है कि ग्रीन क्रेडिट नियमों से **'हरित रेगिस्तानों'** का निर्माण हो सकता है।
 - यह शब्द उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहाँ मूल परदृश्य की पारिस्थितिकी जटिलताओं और जैवविविधता पर विचार किये बिना वृक्षारोपण किये जाते हैं।
 - इस तरह के वृक्षारोपण **पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बाधित कर सकते हैं** और प्राकृतिक वन की तरह विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का समर्थन नहीं करते हैं।
 - वनों को केवल पेड़ों की गिनती के आधार पर मापने के लिये नियमों की आलोचना की गई है, जो एक कार्यात्मक वन और उससे जुड़े वन्यजीवों की बहुस्तरीय संरचना को नज़रअंदाज़ करता है।
- **पद्धति संबंधी चिंताएँ:** ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति, विशेष रूप से वृक्षारोपण के माध्यम से इसकी पर्यावरणीय सुदृढ़ता पर प्रश्न उठाया गया है।
 - आलोचकों को चिंता है कि यह कार्यप्रणाली संभावित नियामक कमियों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है और इससे पर्यावरणीय गतिविधि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **'बंजर भूमि' पर दबाव:** 'अपघटित भूमि खंडों' पर पेड़ लगाने पर जोर उन क्षेत्रों पर दबाव डालता है जिनमें अक्सर **बंजर भूमि** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण हैं।
 - ये क्षेत्र **घास के मैदानों** की तरह कार्बन पृथक्करण और अद्वितीय जैवविविधता का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन

कृषेत्तरोँ में वनीकरण पर जोर देने से स्थानिक प्रजातियों तथा पारस्थितिकि कार्यों का नुकसान हो सकता है ।

आगे की राह

- **जैवविधिता आधारित वनीकरण: पेड़ों की गणना** से हटकर जैवविधिता-आधारित वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, जहाँ लक्ष्य केवल बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के बजाय विविध मूल प्रजातियों और पारस्थितिकि तंत्र को बहाल करना है ।
 - यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नव स्थापित वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों की नकल करते हैं और वन्यजीवों की एक वसिस्तृत शृंखला का समर्थन करते हैं ।
- **प्रोद्योगिकी एकीकरण:** वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त वास्तव में नमिनीकृत भूमिकी पहचान करने के लिये **सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग)** और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करना, जिससे मौजूदा पारस्थितिकि तंत्र को नुकसान पहुँचाने का जोखिम कम हो सके ।
- **पारदर्शिता और ज्ञान साझा करना:** कार्यक्रम दशिया-नरिदेशों के अंतर्गत **"अपघटित भूमि (Degraded land)"** और **"बंजर भूमि (Wasteland)"** जैसे शब्दों की स्पष्ट और पारदर्शी परिभाषा सुनिश्चित करना ।
 - पर्यावरण की दृष्टि से **जामिमेदार प्रथाओं** को सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग, व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों सहित हतिधारकों के बीच ज्ञान साझा करने तथा क्षमता नरिमाण को बढ़ावा देना ।

दृष्टिमेन्स प्रश्न:

ग्रीन करेडिटि कार्यक्रम को लागू करने के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिये । हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच प्रभावी ढंग से संतुलन बनाते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. कार्बन करेडिटि की अवधारणा नमिनलखिति में से कसिसे उत्पन्न हुई है? (2009)

- पृथ्वी शखिर सम्मेलन, रथिो डी जनेरथिो
- क्योतो प्रोटोकॉल
- मॉन्टरथिल प्रोटोकॉल
- जी-8 शखिर सम्मेलन, हेलीजेंडम

उत्तर: (b)

प्रश्न. "कार्बन करेडिटि" के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन सा सही नहीं है? (2011)

- कार्बन करेडिटि प्रणाली क्योतो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी ।
- कार्बन करेडिटि उन देशों या समूहों को प्रदान कथिा जाता है जो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं ।
- कार्बन करेडिटि का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है ।
- कार्बन करेडिटि का कर्य-वकिर्य संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय-समय पर नथित मूल्यों के आधार पर कथिा जाता है ।

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. क्या यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के अधीन स्थापित कार्बन करेडिटि और स्वच्छ विकास यांत्रिकित्त्वों का अनुसरण जारी रखा जाना चाहथिे, यद्यपि कार्बन करेडिटि के मूल्य में भारी गरावट आई है ? आर्थिक संवृद्धि के लथिे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टिसे चर्चा कीजथिे । (2014)

प्रश्न. ग्लोबल वारमगि (वैश्विक तापन) पर चर्चा कीजथिे और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजथिे । क्योतो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वारमगि का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लथिे नथितरण उपायों को समझाइये । (2022)

